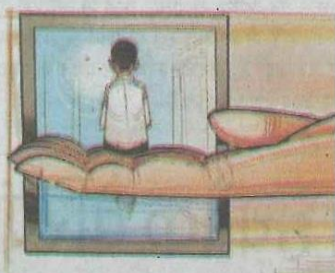


# विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ जॉइन्ट डिग्री, फैकल्टी को ज्यादा वेतन



## नव एनरोस

केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत हायर एजुकेशन एम्पॉवरमेंट रेग्युलेशन एजेंसी (हीरा) के बनने तक शिक्षा को निःशुल्क करने और गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी कुछ बिंदुओं पर काम करेगी। इसी विचार-विमर्श में नीति आयोग ने मानव संसाधन मंत्रालय के साथ एक योजना की रूपरेखा तैयार की है और यूजीसी व एआईसीटीई नियामकों में सुधार के लिए अल्पकालिक उपायों को लागू करने का फैसला किया है। इस नए एजेंडे में विदेशी संस्थानों के साथ जॉइंट डिग्री का वादा, फुल ऑनलाइन कोर्स, फैकल्टी को ज्यादा इन्सेन्टिव देना, पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट का इस्तेमाल और यूजीसी व एआईसीटीई के इन्स्पेक्टर राज को खत्म करने जैसे काम शामिल हैं।

## संस्थान का मूल्यांकन

भारत के राष्ट्रीय मूल्यांक व प्रत्यायन परिषद (नेक) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन एजेंसियों को शामिल करने को लेकर सहमति जताई गई है। अन्य एजेंसियां यूजीसी के नियमानुसार चलाई जाएंगी और मान्यता देने के लिए उच्च मानकों और पारदर्शी तरीके से काम करने के बाद रिपोर्ट्स ऑनलाइन की जाएंगी। पांच साल में हर संस्थान का मूल्यांकन किया जाएगा और उसकी स्वायत्तता मूल्यांकन में मिली रैंकिंग के आधार पर तय की जाएगी।

## बेहतर संस्थान बेहतर सुविधा

मूल्यांकन में ऊंची श्रेणी पाने वाले संस्थानों को निम्न स्तर के संस्थानों की अपेक्षा बेहतर शिक्षा सुविधा, प्रशासन और आर्थिक स्वायत्तता दी जाएगी। इस संबंध में यूजीसी पहले ही नियम संबंधी ड्राफ्ट ले आया है।

## अच्छी फैकल्टी को पुरस्कार

वैश्विक प्रतिष्ठा वाली फैकल्टी को आकर्षित करने के उद्देश्य के तहत करीब 10 फीसद एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स को अतिरिक्त मुआवजा और इन्सेन्टिव दिए जाएंगे। ऐसा करने के लिए उच्च श्रेणी वाले संस्थानों को अपने फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।

## इन्स्पेक्टर राज खत्म

इस बात पर सर्वसम्मति है कि यूजीसी निरीक्षणों को सीमित किया जाए और मूल्यांकन के लिए स्पष्ट परिभाषित मानदंडों के जरिए बेहतर निष्पक्षता और पारदर्शिता लाई जाए। निरीक्षणों को सीमित कर उन्हें संस्थान/विभाग/प्रोग्राम व डॉक्युमेंट जैसे शुरुआती ऐकडेमिक ऑपरेशन तक ही रखा जाए।

## ऑनलाइन स्वतंत्रता

फिलहाल यूजीसी किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम को मान्यता नहीं देता है। अब यह सहमति जताई गई है कि शीर्ष संस्थानों को पूरी तरह ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने की मंजूरी दी जाए।

## बढ़ेगा दायरा

भूराजनीतिक महत्व को देखते हुए सरकार ने उच्च श्रेणी की यूनिवर्सिटीज को दूर-दराज के इलाकों में कैंपस खोलने पर सहमति जताई है। योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए यूजीसी के मौजूदा मानदंडों को नियमों के तहत हटाया जाएगा और इवैल्युएशन प्रोसेस को और निष्पक्ष बनाने और संस्थानों को नए उन्नत डिग्री प्रोग्राम बनाने की मंजूरी दी जाएगी। साथ ही कॉलेजों को यूनिवर्सिटी की मोहर के साथ स्वायत्त कॉलेज के नाम से डिग्री देने की इजाजत होगी। इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी से एनओसी (नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) नहीं पाने वाले संस्थानों को भी सक्षम बनाने का काम किया जाएगा। पीएचडी एडमिशन की गुणवत्ता को देखते हुए यह प्रस्ताव दिया गया है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेकरशिप के लिए मौजूदा नेट परीक्षा को पीएचडी प्रवेश प्रोग्राम के साथ समायोजित कर दिया जाए। यह नेट स्क्रीनिंग संस्थानों द्वारा लिए इंटरव्यू या टेस्ट के आधार पर होगी। दूसरी अवधि के दौरान संस्थान के नेतृत्व को दो से ज्यादा समय सीमा नहीं दी जाएगी। ऐसा केवल तभी संभव होगा जब किसी संस्थान के मूल्यांकन या रैंकिंग में जबर्दस्त सुधार देखने को मिले।